प्रश्न सं. [ क्र. 551 ]

**विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 551 की जानकारी**

**परिशिष्ट "अ"**

1- प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन की प्रति कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक/7560/जनजातीय/स्टोर/2017 बड़वानी दिनांक 03.10.2017 द्वारा आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर को संबंधित प्राचार्यो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा गया।

2- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक/4019/वि-6/शिकायत/17 इंदौर दिनांक 01.11.2017 द्वारा प्राचार्यो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पृथक-पृथक आरोप-पत्र, आधार-पत्र, साक्ष्य सूची आदि सुसंगत दस्तावेज चाहे गये।

3- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/14577/जजाकावि/वि.जांच/2019 बड़वानी दिनांक 30.09.2019 द्वारा प्राचार्यो के पृथक-पृथक आरोप पत्रादि प्रेषित किये गये।

4- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा प्राचार्यो को आरोप पत्र जारी किये गये।

5- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के पत्र क्रमांक/790/6-वि-स्था/19 इंदौर 07.03.2020 द्वारा संबंधित प्राचार्यो के उत्तर में उल्लेखित बिन्दुओं पर पृथक-पृथक अभिमत चाहा गया।

6- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर को प्राचार्यो के उत्तर में उल्लेखित बिन्दुओं पर पृथक-पृथक अभिमत कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/6818/आदिम/शिकायत/2020 दिनांक 06.10.2020 द्वारा प्रेषित किये गये।

7- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के पत्र क्रमांक/2266/6-वि-स्था/2020 इंदौर 06.11.2020 द्वारा प्राचार्यो को समक्ष सुनवाई हेतु नियत दिनांक 05.01.2021 को आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये।

8- कार्यालय आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक/1636/6-वि-स्था/2021 इंदौर दिनांक 14.07.2021 द्वारा 08 के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन पर अभिमत चाहा गया।

9- कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक/5605/जजाकावि/शिकायत/2021 बड़वानी दिनांक 21.08.2021 द्वारा 08 प्राचार्यो के द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कलेक्टर, जिला बड़वानी का अभिमत प्रेषित किया गया।

10- वर्ष 2012-13 में बड़वानी जिलें में 43 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में सामग्री क्रय में अनियमितता के मामलें में दोषी पाये गए 31 प्राचार्यो में से 23 प्राचार्यो को आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा परिनिन्दा शास्ति से तथा 05 प्राचार्यो की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। एक प्राचार्य का निधन होने से, एक प्राचार्य की सेवानिवृत्ति होने से एवं एक प्राचार्य के पदच्युत होने से प्रकरण को समाप्त किया गया है।

सहायक संचालक
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश